

**बिहार सरकार**  
**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\*अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

द्वारा : \* आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना-15, दिनांक-25/8/2025.

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विशेष प्रशिक्षण की योजना हेतु कुल ₹ 187.20 लाख (एक करोड़ सतासी लाख बीस हजार रुपये) मात्र की लागत की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विशेष प्रशिक्षण की योजना हेतु कुल ₹ 187.20 लाख (एक करोड़ सतासी लाख बीस हजार रुपये) मात्र की लागत की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुलग्नक-I, II, III, IV एवं V के रूप में संलग्न है।

2. प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी तकनीकी समावेशन की क्रियान्वित योजना के लाभार्थियों एवं इच्छुक मत्स्य कृषक तथा विभागीय मत्स्य पदाधिकारियों को संस्थागत विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना है ताकि उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हो सके।
3. योजना के क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने का अनुमान है—
  - (i). उन्नत मत्स्य तकनीक योजना के लाभार्थियों को घटक विशेष हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन सुलभ होगा।
  - (ii). निर्मित आधारभूत संरचना यथा बायोप्लॉक, फिश फीड मील, अलंकारी मात्स्यिकी आदि योजना अवयव के उच्चतर क्षमता तक मत्स्य उत्पादन लेने में सहायक होगा।
  - (iii). मत्स्य प्रभाग के लोअर एवं मीडिल-स्तर के मत्स्य पदाधिकारियों के लिए भी तकनीकी कौशल उन्नयन में सहायक होगा।
  - (iv). राज्य में अधिष्ठापित आधारभूत संरचनाओं से उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होने से अन्य प्रदेशों पर निर्भरता कम होगी।
  - (v). इससे राज्य की मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी।



(vi). रोजगार के नए अवसर एवं किसानों की आय में अभिवृद्धि से इनका सामाजिक आर्थिक सुदृढिकरण हो सकेगा।

4. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय-सीमा : इस योजना के तहत बायोफ्लॉक, फिश फीड मील, अलंकारी मात्स्यिकी, प्रजाति विविधकरण, ब्रुड बैंक, डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, झींगा पालन, मोती पालन आदि मात्स्यिकी तकनीकी में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अलावे प्रगतिशील मत्स्य कृषक/लाभार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण राज्य के अंदर एवं बाहर दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी वित्तीय वर्षों में किया जाएगा।

5. योजना की रूप-रेखा:-

प्रस्तावित योजना के तहत बायोफ्लॉक, फिश फीड मील, अलंकारी मात्स्यिकी, प्रजाति विविधकरण, ब्रुड बैंक, डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, झींगा पालन, मोती पालन आदि मात्स्यिकी तकनीकी में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अलावे प्रगतिशील मत्स्य कृषक/लाभार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण राज्य के अंदर एवं बाहर दिया जाएगा।

(क) मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना में मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण -

- (i). राज्य के अंदर मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना में वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक तीन-चार माह में योजना की स्वीकृति प्रक्रिया के कारण मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण बाधित रहता है। इस अवधि में आवासीय प्रशिक्षण हेतु तीस प्रशिक्षणार्थियों प्रति बैच पर छः दिवसीय नियमित प्रशिक्षण (कुल पन्द्रह बैच-भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक-IV संलग्न) के लिए उप शीर्ष-0102 -मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड-02-2405001090102 के विषय शीर्ष-0102.20.03 -प्रशिक्षण व्यय मद में ₹ 13.83840 लाख राशि तथा विषय शीर्ष-0102.28.04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में ₹ 8.1000 लाख राशि अर्थात् कुल ₹ 21.93840 लाख राशि व्यय होने का अनुमान है जिसका विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-II एवं III के रूप संलग्न है।

- (ii). मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना में उक्त छः दिवसीय नियमित प्रशिक्षण हेतु कुल ₹ 21,93,840 (इक्कीस लाख तिरानवे हजार आठ सौ चालीस रुपये) राशि व्यय होने का अनुमान है। इस कुल राशि में से मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में निविदा के माध्यम से चयनित कैंटीन सेवा प्रदाता द्वारा प्रशिक्षणार्थी एवं साधन सेवी के भोजन की व्यवस्था हेतु कुल ₹ 8,10,000 (आठ लाख दस हजार रुपये) तथा प्रशिक्षण व्यय हेतु ₹ 7,98,840 (सात अठानवे हजार आठ सौ चालीस रुपये) राशि अर्थात् कुल ₹ 16,08,840 (सोलह लाख आठ सौ चालीस रुपये) राशि संयुक्त मत्स्य निदेशक, (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शेष राशि विभिन्न जिला मत्स्य कार्यालयों को प्रशिक्षणार्थियों को पटना भेजने एवं वापसी हेतु ₹ 5,85,000 (पाँच लाख पचासी हजार) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-IV के रूप संलग्न है। ।



(ख) नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक विशेष मत्स्य प्रशिक्षण की योजना :-

- (i). इस योजनान्तर्गत राज्य के बाहर तथा अंदर विभिन्न संबंधित प्रतिष्ठित संस्थानों से राज्य के कृषकों एवं विभागीय पदाधिकारियों के नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक से संबंधित विशेष प्रशिक्षण हेतु व्यय विवरणी प्राप्त कर विभिन्न बैचों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
  - (ii). संस्था से व्यय विवरणी [प्रशिक्षणार्थियों के जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं वापस आने का रेल (कृषकों के लिए शयनयान श्रेणी/विभागीय पदाधिकारियों हेतु वेतन-स्तर के अनुसार अनुमान्य श्रेणी)/बस आदि का किराया सहित] के अनुसार प्रशिक्षण विशेष हेतु मत्स्य पदाधिकारियों/लाभार्थियों/कृषकों का समूह गठित कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु संबंधित संस्थानों में भेजा जाएगा। मत्स्य पालकों/लाभार्थियों के बैच में एक विभागीय पदाधिकारी भी साथ जाएँगे। इसके लिए अलग से यात्रादेश की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iii). प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रति बैच निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर बैच तैयार कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  - (iv). योजनान्तर्गत नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक विशेष मत्स्य प्रशिक्षण हेतु उप शीर्ष-0102-मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02-2405001090102 के विषय शीर्ष-0102.20.03- प्रशिक्षण व्यय (सभी संस्थानों के लिए) मद में ₹ 157.16160 लाख राशि तथा विषयशीर्ष-0102.28.04-व्यावसायिक/कला/ तकनीकी सेवाएँ (केवल मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना के लिए) मद में ₹ 8.10000 लाख राशि अर्थात् कुल ₹ 165.26160 लाख राशि व्यय हाने का अनुमान है (अनुलग्नक-II संलग्न)।
6. इस प्रस्तावित योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि उप शीर्ष-0102 -मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02-2405001090102 के विषय शीर्ष-0102.20.03 -प्रशिक्षण व्यय (सभी संस्थानों के लिए) मद में ₹ 171.00 लाख राशि तथा विषय शीर्ष-0102.28.04 -व्यावसायिक/कला/ तकनीकी सेवाएँ सब्सिडी (केवल मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना के लिए) मद में ₹ 16.20000 लाख राशि अर्थात् कुल ₹ 187.200 लाख राशि को कोषागार से निकासी कर बी०एल०डी०ए० में अंतरित/संचित कर चालू एवं आगामी वर्षों में योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया जाएगा। विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
7. अन्य क्रियान्वयन विवरणी-
- (i). इस योजना के तहत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना में तथा नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक विशेष मत्स्य प्रशिक्षण हेतु मत्स्य पालकों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने तथा चयन की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-V संलग्न है।
  - (ii). योजनान्तर्गत केवल राज्य से बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में जाने-आने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को मार्ग व्यय (अल्पाहार, भोजन आदि) देय होंगे। मत्स्य



प्रशिक्षणार्थियों को केवल राज्य से बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों हेतु यथा बिहार राज्य के सीमावर्ती राज्यों के लिए ₹ 500/- (पाँच सौ रुपये) तथा शेष राज्यों के लिए ₹ 1000/- (एक हजार रुपये) मार्ग व्यय दिया जाएगा।

- (iii). राज्य से बाहर तथा राज्य के अंदर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी को निबंधन शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 250/- (दो सौ पचास रुपये) एवं ₹ 100/- (एक सौ रुपये) अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा किया जाएगा। निबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार राज्यकोष में जमा की जाएगी। निबंधन के उपरांत प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर निबंधन रद्द कर निबंधन राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. उक्त योजना के तहत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से प्रशिक्षण/क्षमतावर्द्धन/विशेष अध्ययन यात्रा/अन्य प्रदेशों में मात्स्यीक विकास की भ्रमण-दर्शन आदि हेतु टीम/व्यक्ति/पदाधिकारियों को भेज सकेंगे जिसके लिए व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा।
9. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा व्यय हेतु स्वीकृत राशि को संयुक्त मत्स्य निदेशक (मुख्यालय), मत्स्य निदेशालय, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) को आवश्यकतानुसार राशि आवंटित करने हेतु आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
10. योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आहरित कर बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में अंतरित/संचित कर चालू एवं आगामी वर्षों में योजना का क्रियान्वयन कर उक्त राशि व्यय किया जायेगा।
11. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से दिशा निर्देश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।
12. इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 -मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109 -विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 -मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02-2405001090102 के विषय शीर्ष-0102.20.03 -प्रशिक्षण व्यय मद तथा विषय शीर्ष-0102.28.04 -व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजटीय उपबंध राशि प्राप्त कर राशि विकलनीय होगा।
13. दिनांक-05.05.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)02/2025 के पृष्ठ 38-37/प०.
14. चूँकि यह एक नयी योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में



इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)02/2025 के पृष्ठ-20/टि०, दिनांक-19.08.2025.

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)02/2025 के पृष्ठ-17/टि० तथा डायरी संख्या-225, दिनांक-08.05.2025.
16. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(मीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025- 3772 /पटना-15, दिनांक- 25/ 8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025- 3772 /पटना-15, दिनांक- 25/ 8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025- 3772 /पटना-15, दिनांक- 25/ 8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025- 3772 /पटना-15, दिनांक- 25/ 8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025-3772 /पटना-15, दिनांक- 25/8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी प्रदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025-3772 /पटना-15, दिनांक- 25/8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)02/2025-3772 /पटना-15, दिनांक- 25/8 /2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव



### अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष-2405 -मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109 -विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 -मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02-2405001090102 के अन्तर्गत मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विशेष प्रशिक्षण की योजना पर अनुमानित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

(राशि लाख में)

| क्र०  | योजना का नाम                         | विषय शीर्ष                                | स्वीकृत राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम | कोषागार का नाम                    |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                                         | 4            | 5                              | 6                                 |
| 1     | मात्स्यिकी विशेष प्रशिक्षण की योजना। | 0102.20.03 -प्रशिक्षण व्यय                | 171.00000    | निदेशक मत्स्य                  | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। |
|       |                                      | 0102.28.04 -व्यावसायिक/कला/ तकनीकी सेवाएँ | 16.20000     |                                |                                   |
| कुल:- |                                      |                                           | 187.20000    |                                |                                   |

3772  
25/8/25

सरकार के अपर सचिव

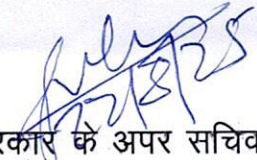
## अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विशेष प्रशिक्षण की योजना के तहत अवयवार/योजनावार, विषय शीर्षवार सम्भावित व्यय विवरणी।

(राशि लाख में)

| क्र०  | योजना का नाम                                              | प्रशिक्षण संस्थान का नाम                           | विषय शीर्ष<br>स्वीकृत राशि    |                                                   | कुल स्वीकृत राशि |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                           |                                                    | 0102.20.03—<br>प्रशिक्षण व्यय | 0102.28.04<br>व्यावसायिक / कला /<br>तकनीकी सेवाएँ |                  |
| 1     | 2                                                         | 3                                                  | 4                             | 5                                                 | 6                |
| 1     | मात्स्यिकी विशेष प्रशिक्षण की योजना।                      | मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना | 13.83840                      | 8.10000                                           | 21.93840         |
| 2     | नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक विशेष मत्स्य प्रशिक्षण | राज्य के अंदर एवं बाहर सभी संस्थानों               | 157.16160                     | 0.00000                                           | 165.26160        |
|       |                                                           | मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना |                               | 8.10000                                           |                  |
| कुल:— |                                                           |                                                    | 171.00000                     | 16.20000                                          | 187.20000        |

3772  
25/8/25

  
सरकार के अपर सचिव



### अनुलग्नक-III

मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में प्रति बैच अधिकतम ₹53,256 (तिरपन हजार दो सौ छप्पन रु० मात्र) राशि व्यय होने का अनुमान है, जिसका अवयववार विवरणी निम्नवत है—

| क्र० | अवयव का नाम                                                                                                                                                                   | प्रति प्रशिक्षणार्थी पर होने वाले व्यय राशि | प्रति बैच अधिकतम व्यय राशि | अभ्युक्ति |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1    | प्रशिक्षण किट (फोल्डर, पेन, नोटबुक, बैग, बुकलेट आदि)                                                                                                                          | ₹600                                        | ₹18000                     |           |
| 2    | प्रशिक्षण-इन्पुट (केमिकल, मछली, फीड, पानी एवं मिटटी के जाँच हेतु किट, गलास-वेयर एवं अन्य सामग्री)                                                                             | LS                                          | ₹1500                      |           |
| 3    | क्षेत्र भ्रमण हेतु किराया पर ली गई वाहन के किराया का भुगतान (बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप) (जी०एस०टी० एवं टॉल टैक्स सहित) | LS                                          | ₹15000                     |           |
| 4    | दो सफाई कर्मी/मजदूर                                                                                                                                                           | ₹388                                        | ₹4656                      |           |
| 5    | कपड़ा धुलाई पर व्यय                                                                                                                                                           | LS                                          | ₹1500                      |           |
| 6    | साधन सेवी पर व्यय                                                                                                                                                             | ₹1000                                       | ₹5000                      |           |
| 7    | फोटोग्राफी पर व्यय                                                                                                                                                            | LS                                          | ₹3600                      |           |
| 8    | प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भ्रमण हेतु चिन्हित इकाई (मत्स्य प्रक्षेत्र/मत्स्य हैचरी/बायोफ्लॉक आदि) के मालिक/संचालक को प्रोत्साहन राशि                                        | LS                                          | ₹1000                      |           |
| 9    | अन्यान्य व्यय (बैनर/समापन समारोह/आदि हेतु व्यय)                                                                                                                               | LS                                          | ₹3000                      |           |
|      |                                                                                                                                                                               | <b>प्रति बैच कुल—</b>                       | <b>₹53256</b>              |           |

(तिरपन हजार दो सौ छप्पन रुपये) मात्र

3772  
25/8/25

सरकार के अपर सचिव



अनुलग्नक-IV

मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना में मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण की योजना से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(राशि रुपये में)

| क्र०    | जिला / संस्थान का नाम | मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना (छः दिवसीय प्रशिक्षण) |                             |                            |                                    |                                                | कुल राशि<br>(राशि रु० में) |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|         |                       | बैच की सं०                                                    | प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 0102.20.03— प्रशिक्षण व्यय |                                    | 0102—28.04<br>व्यावसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ |                            |
|         |                       |                                                               |                             | संस्थान को भुगतये राशि     | जिलों को भुगतये मार्ग व्यय की राशि |                                                |                            |
| 1       | 2                     | 3                                                             | 4                           | 6                          | 7                                  | 8                                              | 9                          |
| 1       | मीठापुर, पटना         | 15                                                            | 450                         | 798840                     | 0                                  | 810000                                         | 1608840                    |
| 2       | पटना                  |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 3       | भोजपुर                |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 4       | बक्सर                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 5       | रोहतास                |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 6       | नालन्दा               |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 7       | कैमूर                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 8       | गया                   |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 9       | जहानाबाद              |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 10      | औरंगाबाद              |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 11      | नवादा                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 12      | अरवल                  |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 13      | मुजफ्फरपुर            |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 14      | सीतामढ़ी              |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 15      | पू० चम्पारण           |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 16      | प० चम्पारण            |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 17      | वैशाली                |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 18      | शिवहर                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 19      | सारण                  |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 20      | गोपालगंज              |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 21      | सिवान                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 22      | दरभंगा                |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 23      | मधुबनी                |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 24      | समस्तीपुर             |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 25      | सहरसा                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 26      | सुपौल                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 27      | मधेपुरा               |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 28      | पूर्णियाँ             |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 29      | कटिहार                |                                                               | 15                          | 0                          | 19500                              | 0                                              | 19500                      |
| 30      | अररिया                |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 31      | किशनगंज               |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 32      | भागलपुर               |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 33      | बाँका                 |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 34      | मुंगेर                |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 35      | जमुई                  |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 36      | खगड़िया               |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 37      | बेगूसराय              |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 38      | लखीसराय               |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| 39      | शेखपुरा               |                                                               | 10                          | 0                          | 13000                              | 0                                              | 13000                      |
| कुल योग |                       | 15                                                            | 450                         | 798840                     | 585000                             | 810000                                         | 2193840                    |

3772  
25/8/25

सरकार के अपर सचिव



### अनुलग्नक-V

मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर तथा नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक विशेष मत्स्य प्रशिक्षण हेतु मत्स्य पालकों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने तथा चयन की विवरणी।

- (i). योजनान्तर्गत राज्य के इच्छुक मत्स्य पालक/एफ०एफ०पी०ओ०/जीविका समूह जो निजी/पट्टा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हो आवेदक होंगे।
- (ii). आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ अपना पूर्ण पता, मोबाईल नं०, आधार नम्बर (छायाप्रति संलग्न) तथा अपने भूमि/तालाब से संबंधित रसीद/लीज एकरारनामा/पट्टा आदि संलग्न करेंगे।
- (iii). योजनान्तर्गत सर्वप्रथम वैसे मत्स्य पालकों/कृषकों जो मत्स्य प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत बायोफ्लोक, आर०ए०एस०, केज कल्चर, अलंकारी मछलियों का संबर्द्धन आदि अवयवों का लाभार्थी है तथा मत्स्य पालन कर रहा हो/एफ०एफ०पी०ओ०/जीविका समूह को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तदोपरांत नवीनतम वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन करने हेतु इच्छुक हो तथा इससे संबंधित आवेदन-पत्र जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया हो, को चयन किया जाएगा। इसके बाद वैसे कृषकों का चयन किया जाएगा जो मत्स्य पालन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।
- (iv). लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका-(i),(ii),(iii) के आलोक में प्रशिक्षण हेतु आवेदकों का चयन किया जाएगा। शेष योग्य आवेदकों की प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाएगा जिन्हें आगामी प्रशिक्षण की योजना में प्राथमिकता देते हुए सम्मिलित किया जाएगा।
- (v). इस प्रशिक्षण योजना हेतु इच्छुक कृषकों से आवेदन-पत्र विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन तथा विभागीय पोर्टल खुली नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार ऑफलाईन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- (vi). लाभार्थियों के चयन परिक्षेत्र स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

3772  
25/8/25

सरकार के अपर सचिव

